



प्रेषक,

संदीप कौर,
सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

- (1) समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 29 जून, 2026

विषय: केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का SNA-SPARSH 2.0 के माध्यम से क्रियान्वयन।

महोदय,

शासनादेश संख्या 8/2026/बी-1-1196/दस-2026 दिनांक 30 अप्रैल, 2026 द्वारा प्रदेश में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में SNA-SPARSH मॉड्यूल को विकेंद्रीकृत किया जा चुका है जिसके अन्तर्गत विभागों के जनपदीय एडमिन कार्यालयों द्वारा बिल जनरेट कर जनपदीय आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से जनपदीय कोषागार को अग्रेषित किये जाने एवं जनपदीय कोषागार द्वारा बिलों का पारण किये जाने की व्यवस्था है।

2- शासन के संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नामित/ प्राधिकृत संस्थाओं की जनपदीय इकाईयों में जनपद स्तर पर आहरण एवं वितरण अधिकारी उपलब्ध नहीं है तथा अभी तक इन संस्थाओं के भुगतान मुख्यालय के आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा ही किये जा रहे थे। ऐसी संस्थाओं के अधीन जनपद स्तर पर आहरण एवं वितरण अधिकारी की अनुपलब्धता के कारण SNA-SPARSH 2.0 के सामान्य process flow के माध्यम से योजनाओं के अंतर्गत भुगतान सम्भव नहीं हो पा रहे हैं।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत ऐसी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं जिनके क्रियान्वयन हेतु नामित/ प्राधिकृत संस्थाओं की जनपदीय इकाईयों में आहरण एवं वितरण अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं, के लिये बिलों के प्रस्तुतीकरण एवं भुगतान की कार्यवाही निम्नानुसार की जायेगी-

- 1) जनपद स्तरीय Implementing Agency के Admin द्वारा समेकित बिलों को मुख्यालय के आहरण एवं वितरण अधिकारी को अग्रेषित किया जायेगा तथा मुख्यालय के आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा जनपदों से प्राप्त बिल जवाहर भवन, कोषागार, लखनऊ/ साइबर ट्रेजरी, इन्दिरा भवन, लखनऊ को अग्रेषित किये जायेंगे। मुख्यालय द्वारा इस संबंध में स्पष्ट आदेश निर्गत किये जायेंगे कि बिल जवाहर भवन, कोषागार, लखनऊ को अग्रेषित किये जाने हैं अथवा साइबर ट्रेजरी, इन्दिरा भवन, लखनऊ को।
- 2) संबंधित संस्थाओं के निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा मुख्यालय स्तर पर नामित अधिकारी द्वारा बिलों के प्रिंट आउट (फॉर्म 103) पर प्रतिहस्ताक्षर कर संबंधित कोषागार को प्रेषित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 3) जनपद कार्यालय के Admin द्वारा अग्रेषित बिलों के साथ संलग्न भुगतान स्वीकृति आदेश के आधार पर संस्था के निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा संबंधित कोषागार के लिए भुगतान स्वीकृति आदेश निर्गत किया जायेगा जिसे मुख्यालय के आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा फॉर्म 103 के प्रतिहस्ताक्षरित प्रिंट आउट के साथ कोषागार को प्रेषित किया जायेगा।
- 4) उपरोक्तानुसार फॉर्म 103 के प्रतिहस्ताक्षरित प्रिंट आउट तथा भुगतान स्वीकृति आदेश के प्राप्त हो जाने पर कोषागार द्वारा बिलों का पारण किया जायेगा।
- 5) भुगतान स्वीकृति आदेश में किसी भी प्रकार की त्रुटि के कारण हुये अनियमित भुगतान के प्रति कोषागार का कोई उत्तदायित्व नहीं होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीया,

संदीप कौर
सचिव, वित्त।

पत्र सं0- 17/2026/बी-1- 1477 /दस-2026, तदिनांक :-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, कोषागार, लखनऊ।
4. समस्त, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग, उ0प्र0, शासन।

आज्ञा से

नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।